

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 244 / 2011
संस्थान दिनांक 27.05.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

प्रेमलाल पिता राधाकिशन मारू, आयु 44 वर्ष
निवासी- ग्राम तलवाड़ा डेब, तहसील अंजड़
जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 134 / 2011 अंतर्गत 354, 323, 506 भा.द.सं. में दिनांक 27.05.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29.04.2011 को समय दिन में 11:00 बजे, ग्राम तलवाड़ा डेब में फरियादिया के घर के सामने फरियादिया, जो कि एक स्त्री है, का हाथ लज्जा भंग करने के आग्रह से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा फरियादिया को जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 354, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया का पति गाँव में मजदूरी करने गया था तथा फरियादिया का पुत्र विष्णु गेहूँ पिसाने गया था। घटना दिनांक 29.04.2011 को फरियादिया घर के बाहर बने बाथरूम में लगभग 11:00 बजे नहा रही थी। अचानक अभियुक्त प्रेमलाल मारु आया और फरियादिया का उल्टा हाथ पकड़ लिया और कहा कि चिल्लाना मत आज उसे औरत बनायेगा और कहा कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देगा, तभी उसका पुत्र विष्णु आ गया और उसे देखकर अभियुक्त फरियादिया को छोड़कर भाग गया। बाद में फरियादिया का पति भी आ गया और उसे घटना बताई। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2011 अंतर्गत धारा 354, 323, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादिया की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया। पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2011 को समय दिन में 11:00 बजे, ग्राम तलवाड़ा डेब में फरियादिया के घर के सामने फरियादिया, जो कि एक स्त्री है, का हाथ लज्जा भंग करने के आयश से पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), महादेव (अ.सा.2), सहायक उपनिरीक्षक कमलसिंह दसौधी (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्रसिंह (अ.सा.4) एवं विष्णु (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 1 व 2 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानती है, लगभग 1 वर्ष पूर्व दिन में वह बाथरूम में नहा रही थी तब अभियुक्त आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया था, फिर अभियुक्त वहाँ से भाग गया था। घटनास्थल पर उसका पति आ गया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर लेखबद्ध कराई थी। इस साक्षी को पक्षविरोधी कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका पति मजदूरी करने बाहर गया था और पुत्र विष्णु आटा चक्की पर गया था। अभियुक्त ने उसका बाया हाथ पकड़ा था और कहा था कि चिल्लाना मत आज उसे औरत बनायेगा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पुत्र के आने पर अभियुक्त वहाँ से भाग गया था और उसका पति घटना के बाद आया तब उसने उसे भी घटना बताई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था और उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया कि वह कोई काम नहीं करती है, घर पर रहती है। उसके घर के आसपास मनोज, पन्नालाल, चमन के मकान बने हुए हैं। उसके घर में 4-5 व्यक्ति आये थे, जिनमें प्रेमलाल, नानुराम, रामु, दशरथ एवं भागीरथ एवं पन्नालाल भी थे। उक्त सभी व्यक्ति आकर उसे पकड़कर ले गये और उससे बहुत सारे पैसे ले लिये थे। उक्त सभी व्यक्तियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके घर के आसपास रहने वाले कोई छुड़ाने नहीं आये थे। फरियादिया ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने अकेले कुछ नहीं किया 10-12 लोगों ने छेड़छाड़ की थी। उसने सभी व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी स्वीकार किया कि सभी ने मिलकर उसके पति को मारा था और एक माह तक बंद करके रखा था और उसका हाथ भी तोड़ दिया था। फरियादिया ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी। उसे हाथ के अतिरिक्त कमर में भी चोट आई थी और कमर टूट गई थी। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसे जान से मारने की धमकी अकेले अभियुक्त ने नहीं दी थी, सभी व्यक्तियों ने दी थी। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसके सामने 10-12 व्यक्ति आये थे, जिनके हाथ लट्ठ, पत्थर एवं कुल्हाड़ी थी। सभी व्यक्ति आये थे और उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका पति घटना वाले दिन शाम को घर आ गया था। उसके दो-तीन दिन बाद घटना की रिपोर्ट की थी। फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पुत्र के आने के पहले ही अभियुक्त भाग गया था, लेकिन फरियादिया ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रही है।

8. महादेव असा 2 का कथन है कि फरियादिया उसकी पत्नी है। लगभग 2 वर्ष पूर्ण गणगौर के समय वह कालु के यहाँ टेक्टर चलाने गया था। उसकी पत्नी ने उसे घर पर आने पर बताया कि भागीरथ, दशरथ, रामु, हेमराज मारु, दौलत, संतोष भाटी, कैश्या, रघु, दीदिया, नानु और अभियुक्त आये थे। उसकी पत्नी ने उसे यह भी बताया था कि घर आये व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रदर्शपी 4 में यह बात बताई थी कि उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह नहा रही थी तब अभियुक्त आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह दोपहर 12 बजे घटना वाले दिन आ गया था, उस समय प्रेमलाल, नानु व दशरथ मौके पर थे शेष व्यक्ति मोटरसाईकिल से भाग गये थे। उसके घर के आसपास 20-25 व्यक्तियों के मकान हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने उसे उसके साथ 10 से 12 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की बात बताई थी और उसने भी पुलिस को यही बताया था। उसने छेड़छानी की बात नहीं बताई थी, यदि उक्त बात प्रदर्शपी 4 के कथन में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। उसने अपनी पत्नी के साथ थाने पर जाकर 10-12 व्यक्तियों द्वारा घटना करने की बात बताई थी। थाने पर उन्होंने अभियुक्त अकेले के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त की दुकान पर नाश्ता करता है और पैसे मांगता है, इस कारण उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन किये हैं।

9. विष्णु असा 5 ने फरियादिया एवं अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 6 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पिता के साथ भारुड़ समाज के कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की तब से उसके पिता का दिमाग ठीक नहीं रहता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पिता उसकी माता के साथ मारपीट करते हैं इसी डर से उसकी माता उसके पिता के कहे अनुसार काम करती है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसकी माता के साथ छेड़छानी नहीं की थी और औरत बनाने का भी नहीं कहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी माता से उसके पिता डरा-धमका कर गाँव के लोगों के विरुद्ध झूठी शिकायत करवाते रहते हैं और ऐसी शिकायत अभियुक्त के विरुद्ध भी की थी।

10. गजेन्द्रसिंह असा 4 का कथन है कि दिनांक 02.05.2011 को थाना अंजड़ में फरियादिया ने बुरी नियत से हाथ पकड़ने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके एसे ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादिया ने रिपोर्ट घटना के 4 से 5 दिन बाद लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादिया ने उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं कराई थी।

11. कमलसिंह दसोंधी असा 3 का कथन है कि दिनांक 17.05.11 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 134/11 की विवेचना के दौरान उसन अभियुक्त को गिरफ्तार किया और फरियादिया एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा फरियादिया का हाथ बुरी नियत से पकड़ने की बात नहीं बताई थी अथवा उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर अपनी मर्जी से कथन लेखबद्ध कर लिये थे।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से फरियादिया असा 1 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा उसका हाथ पकड़ने के संबंध में ही कथन किया है। फरियादिया का यह भी कथन है कि किस आशय से उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के सभी सुझावों को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षी अभियोजन के बताये अनुसार ही उक्त कथन केवल स्वीकारोक्ति के रूप कर रही है। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने 10-12 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ आकर बलात्कार करने के संबंध में कथन किये हैं और उक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाने पर लिखाना बताया है। इसी प्रकार के कथन फरियादिया के पति महादेव असा 2 ने भी किये हैं। प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया के पुत्र विष्णु को घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया गया है लेकिन विष्णु असा 5 ने अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। बल्कि साक्षी का यह कथन है कि उसकी माता उसके पिता के कहे अनुसार उसके डर से कार्य करती है। ऐसी स्थिति में फरियादिया असा 1 और उसके पति महादेव असा 2 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। फरियादिया असा 1 के स्वयं के कथनों में गभीर विसंगतियाँ एवं विरोधाभास हैं और घटना की रिपोर्ट 3 दिन विलंब से लिखाये जाने का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं है। फरियादिया ने स्वयं को हाथ एवं कमर में चोटें आने एवं कमर टूटने के संबंध में कथन किया है लेकिन पुलिस द्वारा कराये गये मेडिकल परीक्षण में फरियादिया के शरीर पर कोई भी चोटें नहीं आना चिकित्सक ने पाया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा पूर्णतः शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या कोई अन्य अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त प्रेमलाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय दोनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 354, 506 भाग-2 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में कोई भी सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

